20/1/20

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी/विपक्षी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण बहस हेतु नियत हेतु है। प्रकरण लम्बे समय से बहस हेतु नियत होकर बहस प्रस्तुत नहीं की गई है और विपक्षी अधिवक्ता बहस हेतु अनुपस्थित है।

Manju

30.12.19 को बहस हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर

Manju

प्रकरण दिनांक 17-9-2018 को बहस हेतु नियत किया जाने एवं आज दिनांक तक बहस प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रकरण में वादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

Manju

P.T.O.

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

पुरुषोत्तम विपक्षी कृपा नारायण

प्रा० पत्र पत्रावली संख्या 53 सन् 2019

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
जिससे जाहिर आया कि प्रकरण मे प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर वाद ग्रस्त आराजीयात के सहखातेदार है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध एक वाद पृथक से अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जाकर उक्त वाद के निस्तारण तक प्रकरण मे मौजा थूम्बा की आ.न. 419, 432, 433, 437, 992, 1002, 1008, 1009, 1556 से 1563, 1618, 1659, 2264/1626, 2265/1626, 2266/1007, 399 व 1981 पर इस आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है कि दौराने वाद यदि भूमि का अन्तरण कर दिया जाता है, तो अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी। अपनी बहस मे भी वादी अधिवक्ता द्वारा इन्ही तथ्यो को दोहराया गया है। जबकि विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब मे वादग्रस्त भूमि का, पक्षकारान प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के पिता द्वारा अपने जीवन काल मे ही पूर्व मे बटंवारा कर दिये जाने का कथन किया है एवं उनके पिता द्वारा निष्पादित अन्तिम इच्छा पत्र मे भी सभी उत्तराधिकारीयो की सहमति से विभाजन कर दिये जाने का कथन किया गया है तथा उसी अनुसार भूमि पर काबीज होना भी बताया है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज करने का निवेदन किया है।	
न्यायालय का मत है कि प्रकरण का मूल वाद वास्ते	Manju

P.T.O.

Scanned by CamScanner

साक्ष्य प्रतिवादी नियत है। प्रकरण मे प्रथमदृष्टया उभय पक्षकारान खातेदार काश्तकार होकर किसी भी अन्तरण से रिकोर्ड में परिवर्तन हो जाने की स्थिती में अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ने की सम्भावना जाहीर होती है एवं विक्रय कर दिये जाने की स्थिति में पक्षकार काश्तकारान को अपूर्णीय क्षति भी होने की सम्भावना है जिससे प्रकरण मे तार्फैसला Manju मौके एवं मूल वाद, रिकोर्ड की यथा स्थिति कायम रखे जाना आवश्यक प्रतित होता है।

अत: प्रकरण में उभय पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात मौजा बूझड़ा की आ०न० 419, 432, 433, 437, 992, 1002, 1008, 1009, 1556 से 1563, 1618, 1659, 2264/1626, 2265/1626, 2266/1007, 399 व 1981 मे तार्फैसला मूल वाद रिकार्ड एवं Manju मौके की यथास्थिति कायम रखे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Manju

(डा० मन्जु I.A.S.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2020.02.25 14:10:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: